कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

(78)

पत्रांक : 01/यो0बजट–47/2015 (पार्ट)– 703 दिनांक : 19.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण एवं वनभूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 53.710 लाख (तिरपन लाख एकहत्तर हजार रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–66/2015–54/ व0प0 दिनांक 15.01.2016 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट–66/2015–06/आ0 व0प0 दिनांक 22.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406–वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष–58–अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 53.710 लाख (तिरपन लाख एकहत्तर हजार रूपये) मात्र** का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता हैः–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101580103	47.956
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101580323	5.754
कुल :–		**53.710**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक–1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–2** एवं कार्यदर **अनुलग्नक–3 (क) एवं (ख)** पर द्रष्टव्य है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 545 दिनांक 14.04.2016 द्वारा 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रू0 प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है। वर्त्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 रू0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

(77)

4. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19P240601101580103 तथा पी0 19P240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना कासफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं सबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रसार वानिकी/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ ततद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम–300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

11. योजना में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\Soil Conservation\54 dt 15.01.2016 (5)\S.O. 54 dt 15.01.2016 (5).doc

(76)

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\Soil Conservation\54 dt 15.01.2016 (5)\S.O. 54 dt 15.01.2016 (5).doc

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–47/2015 (पार्ट)– 703** दिनांक– **19.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

19/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

17. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

18. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

19. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0बजट–47/2015 (पार्ट)– 703** दिनांक– **19.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ चतरा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

ह0/–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\Soil Conservation\54 dt 15.01.2016 (5)\S.O. 54 dt 15.01.2016 (5).doc

(93)

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–47 / 2015 (पार्ट)– 703** दिनांक– **19.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा / चतरा / हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\Soil Conservation\54 dt 15.01.2016 (5)\S.O. 54 dt 15.01.2016 (5).doc

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	iii	iv	v	vi	vii
1	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	30	9.968	1.226	11.194
2	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	30	9.968	1.226	11.194
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	50	16.613	2.044	18.657
	योग :–	**110.00**	**36.549**	**4.496**	**41.045**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2016–17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (पुरानी–भू–संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अन्तर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : रू0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (रू0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे0)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	iii	iv	v	vi	vii
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	50.00	11.407	1.258	12.665
	सकल योग :–	**50.00**	**11.407**	**1.258**	**12.665**
	कुल सकल योग :–	***160.00***	***47.956***	***5.754***	***53.710***

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0ब0–66/2015– 54 दिनांक 15.01.2016

नोट :– वर्त्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 रू0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(71)

झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB 47/15/703 दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27508	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	996,800.00 रुपये नौ लाख छयानवे हजार आठ सौ
2	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27510	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	996,800.00 रुपये नौ लाख छयानवे हजार आठ सौ
3	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27512	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	1,661,300.00 रुपये सोलह लाख इकसठ हजार तीन सौ

योग: 3,654,900.00

क्रमिक योग: रुपये छत्तीस लाख चौपन हजार नौ सौ

Chauhan 19.5.2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 19/5/2016

पत्र या - 01/YB 47/15/703 दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27514	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICEI EAST	1,140,700.00 रुपये ग्यारह लाख चालीस हजार सात सौ
5	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27517	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ
6	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27518	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सौ
7	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27519	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	204,400.00 रुपये दो लाख चार हजार चार सौ

योग: 1,590,300.00

क्रमिक योग: रुपये बावन लाख पैंतालीस हजार दो सौ 5,245,200.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 19/5/2016

69

पत्र ्या - 01/YB 47/15/703 दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27520	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICEI EAST	125,800.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ

योग: 125,800.00

क्रमिक योग: रुपये तीरपन लाख इकहत्तर हजार 5,371,000.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS) 19/5/2016

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

Run Date: 19/5/2016

अनुलग्नक–3 (क)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण के अंतर्गत वन शीघ्र बढने वाले पौधे का रोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी0 x 2 मी0

मजदूरी दर **221.61** प्रति मानव दिवस

कम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 मे)	सामग्री (रू0 मे)	कुल व्यय (रू0 मे)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A) वित्तीय वर्ष 2016–17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हे0	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हे0 औसत 6 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे0 तक	हे0	9.16	2029.95		2029.95	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**161.16**	**35714.67**	**4087.50**	**39802.17**	

अनुलग्नक–3 (ख)

वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम– अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0)

मजदूरी दर **221.61** प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	6	5	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2016–17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	4764.62	0.00	4764.62	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	8088.77	0.00	8088.77	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	9196.82	0.00	9196.82	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	443.22	0.00	443.22	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	हे0	9.16	2029.95	0.00	2029.95	
	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 से अधिक)						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**110.66**	**24523.36**	**2515.00**	**27038.36**	

16/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची